न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 34/2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

—आवेदक—

बनाम

1. श्री प्रभाती लाल पुत्र श्री मोतीलाल महाजन
   एफबीओ मैसर्सः—खण्डेलवाल ऑयल मील एण्ड प्रोविजन स्टोर, गढ रोड मण्डावर जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 24.01.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश प्रजापत ने दिनांक 20.02.2023 को दोपहर 04:00 बजे मैसर्सः—खण्डेलवाल ऑयल मील एण्ड प्रोविजन स्टोर, गढ रोड मण्डावर जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री प्रभातीलाल पुत्र श्री मोतीलाल महाजन उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के प्रतिष्ठान पर लकडी की रैक में कुल 40 पैकेट मुनक्का ब्राण्ड तोफान **(Munakka tofan Brand)** वजन 250 ग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मानक स्तर का न होने का शक होने पर इसमे से नमूने की जांच हेतु 4 मूल पैकेट मुनक्का ब्राण्ड तोफान **(Munakka tofan Brand)** खरीदा। जिसकी कीमत 720 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा मुनक्का ब्राण्ड तोफान **(Munakka tofan Brand)** के चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकेटो पर चिपकाकर पैकेटो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर पैकेटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—3179 गोंद से चिपकाकर पैकेटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकेटो को चार—चार जगह चपडी से सील मोहर कर पैकेटो पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकेटो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद पैकेट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकेट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद मुख्यालय द्वारा दिनांक 21.02.2023 को खाद्य विश्लेषक प्रयो. अलवर को जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकेट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.02.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सील बंद पैकेट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.02.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

उक्त खाद्य पदार्थ मुनक्का ब्राण्ड तोफान **(Munakka tofan Brand)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./187/एक्ट/2023/209 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.05 10:43:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./187/एक्ट/2023/209 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मुनक्का ब्राण्ड तोफान **(Munakka tofan Brand)** के पॉलीपैक पाउच पर **Ingredients, M.R.P Rs, Batch/Code No., Date of mfr./Packagind, USE BY/EXPIRY/BEST BEFORE, Nutritional fact. Address of Mfr/Packer, FSSAI Lic No.** से सम्बन्धित जानकारी अंकित **(Not Labelled)** नहीं होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **FSS(Labelling and display)Regulation 2020 के Regulation No. 2.5(6), 2.5(7), 2.5(9) & 2.5(10)** का उल्लंघन होने से **FS&S Act 2006** के सेक्शन **3(1)(zf)(c)(i)** के अन्तर्गत मिथ्याछाप **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अप्रार्थी अभियुक्त को मिथ्याछाप **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ मुनक्का ब्राण्ड तोफान **(Munakka tofan Brand)** का विक्रय किये जाने के कारण अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किये जाने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एक निहायत गरीब व छोटा दुकानदार है। जो कि दुकान से ही परिवार का पालन पोषण करता है। दुकान का सामान लोकल बाजार मण्डावर से ही थोक विक्रेताओं से दो–दो किलो की तादाद में लाकर दुकान पर बेचता है। प्रार्थी ने थोक विक्रेता से मुनक्का खरीदते वक्त पैकिंग पर उत्पादन व एक्सपायर दिनांक नहीं होने का विवरण नहीं देखा। उक्त पैकिंग पर उत्पादन व एक्सपायर दिनांक अंकित नहीं थे। प्रार्थी की इसमे भूल हो गई। प्रार्थी की दुकान से उक्त पैकिंग मुनक्का का सैम्पल फूड इंस्पेक्टर द्वारा लिया गया जो कि दिनांक अंकित नहीं होने से मिसब्राण्ड आया है। अतः प्रार्थी को उक्त प्रकरण में क्षमादान दिया जावे। आईन्दा ऐसी भूल नहीं होगी।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./187/एक्ट/2023/209 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मुनक्का ब्राण्ड तोफान **(Munakka tofan Brand)** का नमूना **FS&S Act 2006** के सेक्शन **3(1)(zf)(c)(i)** के अन्तर्गत मिथ्याछाप **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ का विक्रय कर **FSS(Labelling and display)Regulation 2020 के Regulation No. 2.5(6), 2.5(7), 2.5(9) & 2.5(10)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ मुनक्का ब्राण्ड तोफान **(Munakka tofan Brand)** का विक्रय किये जाने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री प्रभाती लाल पुत्र श्री मोतीलाल महाजन एफबीओ मैसर्सः–खण्डेलवाल ऑयल मील एण्ड प्रोविजन स्टोर, गढ रोड मण्डावर जिला दौसा पर 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 24.01.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के निर्धारित मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/2024/ दिनांकः– 24.01.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को पालनार्थ।
3. श्री प्रभाती लाल पुत्र श्री मोतीलाल महाजन
   एफबीओ मैसर्सः–खण्डेलवाल ऑयल मील एण्ड प्रोविजन स्टोर, गढ रोड मण्डावर जिला दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.05 10:43:48 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा